129

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(पशुपालन)

अधिसूचना

पटना – 15, दिनांक –

संख्या – 7/स्था०(4) लिपिक 05/2019.............भारतीय संविधान अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार के राज्यपाल ''बिहार पशुपालन निदेशालय (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) के अधीन लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2014'' में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :–

1. सक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। –

(1) यह नियमावली ''पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन) के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के (लिपिकीय) संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली 2025'' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा तथा पशुपालन निदेशालय (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) के सभी अधीनस्थ कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगी।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तुरंत से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार पशुपालन निदेशालय (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) के अधीन लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2014 के नियम–3 का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली के नियम–3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

3. संवर्ग की संरचना – लिपिकीय संवर्ग की संवर्ग संरचना निम्नानुसार होगी :–

क्र०	कोटि का नाम	स्तर
1	2	3
क	निम्न वर्गीय लिपिक	मूल कोटि
ख	उच्च वर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर
ग	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर
घ	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	तृतीय प्रोन्नति स्तर

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के अपर मुख्य सचिव

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।

128

ज्ञापांक – 7/स्था०(4) लिपिक 05/2019 – 926 (नि०) / पटना – 15, दिनांक – 04/03/2025

प्रतिलिपि – प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि राजपत्र (गजट) की 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

4/3/25

सरकार के अपर सचिव
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।

ज्ञापांक – 7/स्था०(4) लिपिक 05/2019 – 926 (नि०) / पटना – 15, दिनांक – 04/03/2025

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/25

सरकार के अपर सचिव
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।

ज्ञापांक – 7/स्था०(4) लिपिक 05/2019 – 926 (नि०) / पटना – 15, दिनांक – 04/03/2025

प्रतिलिपि – अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, विधि विभाग, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/पशुपालन निदेशालय के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालय के कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

4/3/25

सरकार के अपर सचिव
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।